"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013—आश्विन 26, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 14-3/2005/1-8.—आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-6/2013/25-1, दिनांक 13-08-2013 द्वारा श्री एस. के. दुबे, उप संचालक (वित्त), वित्तीय प्रकोष्ठ, आदिमजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की पदस्थापना सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, महासमुंद के पद पर की गई है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-10-2011 के संदर्भ में श्री दुबे की सेवायें आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को वापस लौटाई जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 9118/1098/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गेंदलाल डिंडोरे, अधिवक्ता, मुंगेली जिला-मुंगेली (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उन्हें मुंगेली जिला मुंगेली (छ. ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उसी अवधि के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 9120/3073/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सूरज कुमार मिश्रा, अधिवक्ता, बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.) को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिये उन्हें बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 9137/2462/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद यदु, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) को जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री अनिल कुमार पिल्लई के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिये उन्हें दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक 9139/2462/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा सुश्री फरिहा अमीन, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) को जिला न्यायालय दुर्ग के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री विजय कुमार कसार के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उसी अवधि के लिये उन्हें दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक 9192/3355/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, रायपुर में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु श्री विश्वपाल सिंह हनुमंता, अधिवक्ता रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि, जो भी पहले हो, के लिये, परिवीक्षा पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन-103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा, किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 9099/3384/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा WP(C)No. 6594/2008 Subhro Chakarovorty Vs. State of Chhattisgarh and 5 others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2011 तथा Writ Appeal No. 351/2011 & 450/2011 में दिये गये निर्णय दिनांक 31-07-2013 के पालन में श्री मेघेश्वर कुमार दिल्लीवार, नोटरी, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 9101/3384/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा WP(C)No. 6594/2008 Subhro Chakarovorty Vs. State of Chhattisgarh and 5 others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2011 तथा Writ Appeal No. 351/2011 & 450/2011 में दिये गये निर्णय दिनांक 31-07-2013 के पालन में श्री सलीमुद्दीन कुरैशी, नोटरी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 9103/3384/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, WP(C)No. 6594/2008 Subhro Chakarovorty Vs. State of Chhattisgarh and 5 others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2011 तथा Writ Appeal No: 351/2011 & 450/2011 में दिये गये निर्णय दिनांक 31-07-2013 के पालन में श्री विष्णु प्रसाद शर्मा, नोटरी, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2013

क्रमांक 9105/3384/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, WP(C)No. 6594/2008 Subhro Chakarovorty Vs. State of Chhattisgarh and 5 others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2011 तथा Writ Appeal No. 351/2011 & 450/2011 में दिये गये निर्णय दिनांक 31-07-2013 के पालन में श्री लिखन लाल चंद्राकर, नोटरी, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 6-123/2012/वा.कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उपायुक्त के पद से अपर आयुक्त के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37400-67000+ग्रेड वेतन रुपये 8700 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	श्री एस. एल. अग्रवाल, उपायुक्त प्रवर्तन, मुख्यालय, रायपुर.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, रायपुर
2.	श्रीमती उमा सिंह, उपायुक्त, मुख्यालय, रायपुर, संभाग क्रमांक-1.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, रायपुर
3.	श्री खेमराज झारिया, संभागीय उपायुक्त, संभाग क्रमांक-2, अतिरिक्त प्रभार प्रवर्तन, बिलासपुर.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गए रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

3. श्री सुनील चौधरी, सहायक आयुक्त, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर रायपुर, संभाग क्रमांक-1 को अपने कार्य के साथ-साथ, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उपायुक्त, प्रवर्तन, मुख्यालय रायपुर का कार्य भी सौंपा जाता है.

4. श्री आर. एन. साय, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, बिलासपुर को अपने कार्य के साथ-साथ, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, उपायुक्त, संभाग क्रमांक 2 एवं प्रवर्तन संभाग बिलासपुर का कार्य भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-18/2011/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक सेवा (विज्ञप्त) भर्ती नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हता (5)
श्रम विभाग	श्रम न्यायिक, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय	25 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि, वकालत में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव.

टीप :- ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं के लिए उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी."

No. F 1-18/2011/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary

(Gazetted) Service, Recruitment Rules, 1965, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service and post (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (3)	Prescribed educational Qualification (5)
Labour Department	Labour Judiciary Presiding Officer, Labour Court	25 years	30 years	Bechelor Degree in Law from any recognized University, minimum five years experience in Advocacy.

Note :— The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रं. 23 सन् 1973) की धारा 23 क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-15-सा-4 में संशोधन

क्र. (1)	सारणी का क्रमांक (2)	भूमि उपयोग परिक्षेत्र (5)	सारणी के कालम-15-सा-4 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए (6)
1.	15-सा-4	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	15-सा-4	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
3.	15-सा-4	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
4.	15-सा-4	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

(1)	(2)	(5)	(6)
5.	15-सा-4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
6.	15-सा-4	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
7.	15-सा-4	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
8.	15-सा-4	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-25/2010/32 दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा बिलासपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बिलासपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाओं में भी छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से जिला बिलासपुर के मल्हार निवेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक 1985/1010/2006/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 की धारा 13 में प्रावधानित उपबंधों के अधीन विद्युत निरीक्षकालय के द्वारा विद्युत की खपत के आंकलन तथा उस पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान में उत्पन्न विवाद के मामले में प्रस्तुत की गई अपील पर सुनवाई एवं समाधानकारक निर्णय जारी करने हेतु श्री बी. आनंद बाबू, विशेष सचिव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक अधिकृत करता है.

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्रमांक 6088/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	सोनहत	किशोरी	8.82	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	किशोरी-जलाशय के बांध, डुबान बेस्टवियर एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 मई 2013

क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा प. ह. नं. 23	0.029	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)	नाला निर्माण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर प. ह. नं. 15	2.205	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर कुआजति माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुआजति प. ह. नं. 19	2.741	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर के अन्तर्गत कुआजति माइनर नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 20/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रानीबछाली प. ह. नं. 18	3.909	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्रमांक 14562/भू-अर्जन/अ-82/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर चांपा	डभरा	सिंघीतराई प. ह. नं. 01	5.40	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजन (रेलवे लाईन) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

क्रमांक 11563/भू अर्जन/अ 82/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	कुलबा प. ह. नं. 09	7.49	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	औद्योगिक प्रयोजन (रेलवे लाईन) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक/[illegible]96/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-नंदई, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.565 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/2	0.020
91/1	0.065
175/2, 176/2, 177/2, 182/2, 183/2, 184/2, 187/2	0.057
209/1	0.114
209/3	0.137
209/4	0.[illegible]34
210	0.028
230/3	[illegible]
1520/2, 1521/2, 1522/2, 1528/6, 1530/6, 1531/6	0.145
1405/4, 1406/4, 1419/2, 1541	0.282
1639/5	0.202

(1)	(2)
1669/11-12, 1670/11-14, 1674/11-14, 1675/11-14, 1677/11-14, 1678/11-14, 1692/11-14, 1693/11-14, 1694/11-14	0.202
योग 12	1.565

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्रमांक/6197/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रेवाडीह, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.413 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
320/1	0.077
328/2-3	0.073
328/4	0.085
352/1	0.057
389/1	0.012
389/3	0.133
389/4	0.065
392/1	0.077
393/4-5	0.247
394	0.008
397/1	0.134
456/1	0.032
457/3	0.093
458	0.049
460/1	0.016
470/2	0.029
471/1	0.109
473/1	0.032
478/1	0.097
490/5	0.263
491/1	0.024
494/4	0.231
494/5	0.170
514/1	0.202
515/1	0.024
515/11	0.074
योग 26	2.413

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजनांदगांव बायपास मार्ग निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्रमांक/6442/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.894 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
441/1	0.061
442/2	0.008
442/4	0.105
442/1	0.012
443/2	0.040
443/3	0.049
444/2	0.016
444/3	0.036
408	0.077
407	0.109
451/1	0.105
406	0.045
447/1	0.154
464	0.045
453/1	0.032
योग 15	0.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अंतर्गत शाखा नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेंडेंट परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़
जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम रायपुर

द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स परीक्षा

(आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25-10-2013)

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक मुनिवा/ए-13/6064/2013.—सूचित किया जाता है कि बायलर परिचर नियम, 2011 के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स को प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 14 जनवरी 2014 से 16 जनवरी 2014 को रायपुर में आयोजित की गई है. प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स को प्रवीणता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा दिनांक 18 फरवरी 2014 से 20 फरवरी 2014 को रायपुर में आयोजित की गई है. परीक्षार्थी आवेदन पत्र (प्रपत्र-'क') इस कार्यालय से स्वयं का पता लिखा 4 × 10 इंच साइज का लिफाफा जिस पर रु. 10/- मात्र के डाक टिकिट लगे हो, भेजकर प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') की छायाप्रति भी मान्य होगी. आवेदन-पत्र (प्रपत्र-'क') केवल शासकीय डाक द्वारा जारी किये जावेंगे.

परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र-'क' पर सम्पूर्ण विवरण तथा अन्य प्रपत्रों सहित सचिव, बायलर अटेंडेंट परीक्षक मंडल, कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर-492001 में दिनांक 25-10-2013 तक या उसके पूर्व शासकीय डाक द्वारा पहुंचने चाहिये. कोरियर या अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे.

द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा हेतु पात्रता

(1) दिनांक 01-11-2013 को न्यूनतम अनुभव :—

(अ) भाप बायलर पर फायरमेन या आपरेटर या सहायक फायरमेन या सहायक आपरेटर के रूप में दो वर्ष का कार्य अनुभव.

अथवा

(ब) बायलर फिटर के रूप में तीन वर्ष का कार्य अनुभव जिसमें से सहायक फायरमेन के रूप में एक वर्ष का कार्य अनुभव.

अथवा

(स) आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारक को लघु उद्योग बायलर पर दो वर्ष का कार्य अनुभव.

2. **शैक्षणिक योग्यता :—** मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (कक्षा दसवीं) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.

3. **आयु सीमा :—** दिनांक 01-11-2013 को न्यूनतम 18 वर्ष.

प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट की परीक्षा हेतु पात्रता

(1) दिनांक 01-11-2013 को न्यूनतम अनुभव :—

(अ) द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट के प्रमाणपत्र के साथ न्यूनतम 50 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस एरिया के बायलर पर दो वर्ष का कार्य अनुभव.

अथवा

(ब) किसी औद्योगिक या तकनीकी संस्थान से तीन वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें एक वर्ष इंजन या बायलर की मरम्मत या निर्माण संबंधी प्रशिक्षुता शामिल हो, के साथ द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट के प्रमाणपत्र के साथ 50 वर्ग मीटर हीटिंग सरफेस एरिया के बायलर पर एक वर्ष का कार्य अनुभव.

(2) **शैक्षणिक योग्यता :—** मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (कक्षा दसवीं) या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.

(3) **आयु सीमा :—** दिनांक 01-11-2013 को न्यूनतम 20 वर्ष.

टीप तथा अन्य शर्तें :—

1. परीक्षक मंडल के निर्णय के अनुसार इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि को छत्तीसगढ़ में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जावेगा तथा अन्य राज्यों में स्थित बायलरों पर कार्यरत व्यक्तियों को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

2. आवेदन प्रपत्र 'क' के भाग-4 में परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा नियोक्ता द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है. अन्य व्यक्ति अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अमान्य है.

3. आवेदन प्रपत्र 'क' के भाग-I, II, III तथा IV के सभी कालम की पूर्ति की जावे. प्रपत्र 'क' में कांट-छांट अमान्य है. अपूर्ण आवेदन अथवा त्रुटिपूर्ण चालान अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त किये जावेंगे.

4. शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने के बाद न्यूनतम अनुभव की गणना की जावेगी.

5. परीक्षा शुल्क-द्वितीय श्रेणी परीक्षा हेतु रु. 300=00 तथा प्रथम श्रेणी परीक्षा हेतु रु. 500=00 की राशि का चालान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अधिकृत बैंक में निम्न लिखित आयमद में जमा किया जावे :—

   0230 श्रम तथा रोजगार
   00 .. ..
   103 - भाप बायलरों हेतु निरीक्षण शुल्क (राज्य)
   0000 - .. ..

6. निर्धारित प्रारूप में सेवा प्रमाण-पत्र दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षित होना चाहिये जिसमें से एक अधिकारी धारा 2(डी) के अंतर्गत मालिक (जिनके नाम पर बायलर का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है) होना अनिवार्य है. एक ही अधिकारी द्वारा सेवा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर अमान्य है.

7. आवेदन प्रपत्र 'क' के साथ निर्धारित प्रारूप में मूल सेवा प्रमाणपत्र, परीक्षा शुल्क का मूल चालान, स्वयं के चार पासपोर्ट साइज (50mm × 65mm) फोटो जो हाल ही में निकाले गये हो तथा जिनमें से दो के पीछे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर राजपत्रित अधिकारी या नियोक्ता से प्रमाणित हों, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी तथा आयु संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करें. प्रथम श्रेणी की परीक्षा हेतु उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट प्रमाण-पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो कापी भी संलग्न करें.

8. सेवा तथा चरित्र प्रमाण पत्र निम्नलिखित संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावे. अन्य किसी प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाणपत्र अमान्य है.

सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र का प्रारूप

दिनांकः ....
स्थानः ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री -------------------------------- पदनाम -------------------------- आत्मज श्री ------------------------------ हमारी इकाई में दिनांक --------------- से दिनांक --------------- तक/आज दिनांक तक ---------------------- निम्नलिखित बायलरों के प्रचालन और/या रखरखाव का कार्य कर रहे हैं/थे.

हमारी इकाई में स्थापित बायलर/बायलरों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. बायलर पंजीयन/मेकर क्रमांक :
2. बायलर का प्रकार :
3. वर्किंग प्रेशर (कि. ग्राम प्रति वर्ग से. मी.) :
4. तापन सतह/रेटिंग (वर्ग मीटर) :
5. अंतिम निरीक्षण दिनांक :

हमारी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र अच्छा है तथा इनकी जन्मतिथि ---------------- है. यह प्रमाण-पत्र इनको छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली बायलर अटेंडेंट परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत् प्रदान किया जा रहा है.

प्रमाणित किया जाता है कि :— (जो लागू न हो उसे काट देवें)

(अ) श्री ---------------------------------- हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत् है तथा इनका भविष्य निधि खाता क्रमांक ----------------------- है.

(ब) हमारी संस्था में आवेदक हेतु भविष्य निधि लागू नहीं है परन्तु श्री ---------------------- हमारी संस्था में उपरोक्त पद पर वास्तविक रूप से कार्यरत है तथा उनका वेतन एवं उपस्थिति का अभिलेख हमारी संस्था में उपलब्ध है. उपरोक्त अभिलेख जांच/निरीक्षण हेतु मांगे जाने पर उपलब्ध करा दिया जावेगा.

प्रतिहस्ताक्षर -----------------------
नाम ----------------------------
पदनाम --------------------------
पदमुद्रा (सील) ----------------------
मोबाइल नंबर -----------------------

बायलर अधि. 1923 की धारा 2(डी) में घोषित बायलर मालिक/एजेन्ट का हस्ताक्षर ------------------------
नाम -------------------------
पदनाम ----------------------
पदमुद्रा (सील) -----------------
मोबाइल नंबर -----------------

9. दो सेवाओं के बीच 90 दिवस से अधिक का व्यवधान होने की स्थिति में आवेदक द्वारा कारण बताते हुये स्पष्टीकरण पत्र दिया जावे. एक से अधिक सेवाओं की स्थितियों में समस्त सेवाओं हेतु सेवा तथा चरित्र प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा.

एस. के. भोई,
संचिव.